(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Safaiwala	8* (2006) *Subject to variation dependent on workload	Civilian in Defence Services, Group 'D', Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	No	18 to 27 years (Relaxable for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India, except for the last date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, and Andaman Nicobar Islands and Lakshdweep.

(8)	(9)	(10)
V standard pass from a recognized school	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By absorption, failing which by direct recruitment.	**Absorption :** Persons serving in the similar or equivalent or higher grades who have been rendered surplus in the Defence Services and possessing the qualification as laid down for direct recruits in column (8).

(13)	(14)
Not applicable	Not applicable.

[F. No. 1(1)/04/US(OS)/D(Fy.-II)]

CHAND KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2006

का.नि.आ. 108.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मिलिट्री इंजीनियर सेवा (गैर-औद्योगिक, समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1970 जहां तक उनका संबंध चौकीदार के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, मिलिट्री इंजीनियर सेवा में चौकीदार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, मिलिट्री इंजीनियर सेवा समूह "घ" (चौकीदार) भर्ती नियम, 2006 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2633 GI/06-6

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.–उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.–वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.–इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. चौकीदार	12669*(2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अनौद्योगिक, अननुसचिवीय, अराजपत्रित	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष तक (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 1** :–आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बाबत 45 वर्ष तक) **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	**आवश्यक :** किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 8वां स्तर उत्तीर्ण। **वांछनीय :** चौकीदार के कर्तव्यों से सुपरिचित होना चाहिए और शारीरिक रूप से योग्य होना चाहिए।	लागू नहीं होता	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**आमेलन** : रक्षा मंत्रालय की निम्नतर विरचना की सदृश या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत व्यक्ति।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :– 1. अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य —अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर या उसके समतुल्य रैंक का अधिकारी —सदस्य 3. समूह 'क' सिविलियन अधिकारी या उसके समतुल्य रैंक का अधिकारी जो विभाग से संबद्ध न हो —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. पीसी–बी/75005/चौकीदार/आरआर/सीएससी/486/आरआर/06 रक्षा (नि)]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th August, 2006

S.R.O. 108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Services (Non-Industrial Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1970, in so far as they relate to the posts of Chowkidar, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Chowkidar in the Military Engineer Services, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Military Engineer Services Group 'D' (Chowkidar) Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and the Other Backward Classes and special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of the posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chowkidar	12669* (2005) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'D' Non-Industrial Non-Ministerial and Non-Gazetted.	Rs. 2550-55-2660-60-3200.	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Departmental Candidates. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts the appointments to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age-limit in each case shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	**Essential :** 8th Standard pass from a recognized School. **Desirable :** Should be conversant with the duties of Chowkidar and should be physically fit.	Not applicable	Two years for direct recruits only.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by absorption or by deputation and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By absorption failing which by direct recruitment	**Absorption :** Persons serving in analogous or higher grades in lower formation of Ministry of Defence.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— (1) Superintending Engineer or equivalent —Chairman (2) Executive Engineer or Officer of equivalent rank —Member (3) Group 'A' Civilian Officer or Officer of equivalent rank not connected with the Department —Member	Not applicable.

[F. No. PC-B/75005/Chowkidar/RR/CSCC/486/RR/06/D(Apptts)]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2006

का.नि.आ. 109.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय उप-सहायक महानिदेशक (भंडार) (सिविलियन) और स्टाफ कैप्टेन भर्ती नियम, 1976 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवा महानिदेशालय के अधीन स्टाफ कैप्टेन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवा महानिदेशालय (स्टाफ कैप्टेन) भर्ती नियम, 2006 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

2683 GI/06-7